प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये़ जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के अभियान में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 दिनेशचन्द्र द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त रीतेश पुत्र रामपत निवासी ग्राम मुखर्रा थाना महाराजपुर जनपद छतरपुर म0 प्र0 सम्बन्धित मु.अ.स. 82/2022 धारा 376/376(3)/363 भादवि,4 व 4(2) पाक्सो एक्ट, को जखा रोड जाने वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। वाद आवश्यक कार्यवाही करके वांछित अभियुक्त को माननीय न्यायलय महोबा के समक्ष पेश कराने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 दिनेशचन्द्र थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2.का0 विवेक कुमार दिवाकर थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

रीतेश पुत्र रामपत निवासी ग्राम मुखर्रा थाना महाराजपुर जनपद छतरपुर म.प्र.

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भांति पुलिस कार्यालय, महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 21.07.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानों को सचेत किया गया कि जनसुनवाई / महिला हेल्पडेस्क को और अधिक प्रभावशाली बनाये ताकि पीड़ित/शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से अपने थाने से इतनी दूर पुलिस कार्यालय आने की आवश्यकता न हो, साथ ही सभी प्र0नि0/थानाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिये गये कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उनका समाधान थाना स्तर पर ही समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित टीम वरि0 उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना खन्ना क्षेत्रअन्तर्गत हाइवे बन्नी रोड कच्ची सड़क मवईखुर्द मार्ग रोड से अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ बलराम पुत्र स्वयम्बर सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, इस बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मिश्रा
2. कां0 अमन कुमार
3. कां0 सोनू चौहान

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल सिंह उर्फ बलराम पुत्र स्वयम्बर सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का हुआ आयोजन,दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश -

आज दिनांक 21.07.2022 को पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का आयोजन क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें समस्त थानों के बालकल्याण अधि0/किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया, कार्यशाला में बालसंरक्षण, पाक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में वार्ता कर जानकारी दी गई, बैठक के दौरान पाक्सो एक्ट व महिला सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया।

तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय ने बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पाक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि थानों पर उक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गस्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराए, गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहे, महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए, बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया जाए।

इस कार्यशाला में प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार, प्रभारी महिला थाना शिल्पी शुक्ला सहित, समस्त थानों के बालकल्याण अधि0, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्डलाइन, बालकल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, ए0एच0टी0यू0/ एच0जे0पी0यू0, व अन्य विभागों के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

“परिवार परामर्श केन्द्र”
कमेटी ने परिवारों को बिखरने से बचाया-

आज दिनाँक 21.07.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय व प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार की अध्यक्षता में तथा प्रभारी महिला थाना उ0नि0 शिल्पी शुक्ला सहित समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पारिवारिक विवाद वाले **04** मामलों को सुना गया, जिसमें परिवार परामर्श के सदस्यों की सूझबूझ से पति-पत्नी से संबंधित पारिवारिक विवादों को काउंसलर के द्वारा शिकायतकर्ता व विपक्षीगणों को सुनकर काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग के फलस्वरूप 01 जोड़ा आपसी मतभेद दूर कर एक साथ रहने को हुए राजी। अन्य मामलो में अगली तारीख दी गई।

इस परिवार परामर्श के दौरान म0कां0 रेखा देवी, समाजसेविका सुश्री नेहा चन्सौरिया,श्रीमती अंशू शिवहरे, श्रीमती विभा पुरवार, श्रीमती नीतू पालीवाल, रामजी गुप्ता समाजसेवी श्री शरद तिवारी दाऊ, श्री शिवकुमार गोस्वामी, मो0 हनीफ आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 21.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहार,श्रावण मास व कांवड यात्रा के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैंदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक **21.07.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में आगामी त्यौहार,श्रावण मास व कांवड यात्रा के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा संवेदनशील स्थानों एंव सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **101** ई-चालान किये गये।

महोबा पुलिस